लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 29 **भोपाल, दिनांक** 24-08-2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः संचालनालय का पत्र क्र./652-653 दिनांक 30.06.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र **2026-27** में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत **Guest Faculty Management System** मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखण्ड एवं जिले की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे-

1.1 विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि सत्र **2025-26** में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तथा उस पैनल (विषय) का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाए I

1.2 अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे।

1.3 शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखण्ड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिये गये दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति/असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे।

1.4 विकासखण्ड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित सकेंगे I

1.5 जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत **Guest Faculty Management System** मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए।

1.6 शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखण्ड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिकायत पाये जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

1.7 शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किये गये आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे, दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाये जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए।

1.8 अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

1.9 समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई-अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय भुगतान किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. यदि विद्यालय में वर्ग-3 प्री-प्रायमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखण्ड / जिले की मैरिट मे उपलब्ध नही होने की स्थिति में वर्ग-3 जनरल के पेनल से वर्ग-3 प्री-प्रायमरी के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किये जा सकेगें।

3. उक्त कार्यवाही दिनांक 25.08.2026 से आरम्भ हो सकेगी तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक **1 सितम्बर** 2026 से कराया जा सकेगा।

उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 24-08-2026

पृ. क्र. / अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 30

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी , सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner